

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 34
वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व पूंजी जोड़		46.00	3301.28	3347.28	23.08	5672.88	5695.96	24.00	3283.41	3307.41
		...	2477.80	2477.80	...	54.79	54.79	...	209.13	209.13
		46.00	5779.08	5825.08	23.08	5727.67	5750.75	24.00	3492.54	3516.54
औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	2885	...	...	...	...	747.27	747.27	...	574.10	574.10
	4885	...	772.98	772.98	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	772.98	772.98	...	747.27	747.27	...	574.10	574.10
2. निर्गमित एसएसएसएफ प्रतिभूति के लिए आस्ति प्रबंधन न्यास	6885	...	...	...	...	...	...	...	9000.00	9000.00
	8012	...	...	...	...	...	...	...	-9000.00	-9000.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2885	...	...	...	...	1573.00	1573.00	...	226.00	226.00
	6885	...	1573.00	1573.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	1573.00	1573.00	...	1573.00	1573.00	...	226.00	226.00
4. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	2885	...	...	...	...	29.45	29.45	...	...	...
5. भारतीय निर्यात आयात बैंक	2885	...	...	...	...	2.53	2.53	...	14.53	14.53
	4885	...	...	...	...	...	...	...	200.00	200.00
	जोड़	...	...	...	...	2.53	2.53	...	214.53	214.53
6. भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक	2885	...	...	...	...	...	...	...	143.00	143.00
7. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	2885	46.00	...	46.00	23.08	...	23.08	24.00	...	24.00
जोड़-औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं		46.00	2345.98	2391.98	23.08	2352.25	2375.33	24.00	1157.63	1181.63
कृषि वित्तीय संस्थाएं										
8. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	2416	...	...	...	...	9.23	9.23	...	5.30	5.30
	6416	...	...	...	...	1.08	1.08	...	...	...
	जोड़	...	...	...	...	10.31	10.31	...	5.30	5.30
9. सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान	2416	...	...	...	...	2.00	2.00	...	800.00	800.00
जोड़-कृषि वित्तीय संस्थाएं		...	...	...	...	12.31	12.31	...	805.30	805.30
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाएं										
10. राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा पूंजी की वापसी	5465	...	-50.00	-50.00	...	-50.00	-50.00	...	...	...
मोचन की गई प्रतिभूतियां	8012	...	50.00	50.00	...	50.00	50.00	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सहायता निर्गमित प्रतिभूतियां	3465	...	6500.00	6500.00	...	6500.00	6500.00	...	1200.00	1200.00
	8012	...	-3500.00	-3500.00	...	-3500.00	-3500.00	...	...	...
	निवल	...	3000.00	3000.00	...	3000.00	3000.00	...	1200.00	1200.00
अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं										
12. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	5466	...	714.06	714.06	...	1265.49	1265.49	...	...	...
	6001	...	-714.06	-714.06	...	-1265.49	-1265.49	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संदेय सेवा प्रभार	2047	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
14. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	5466	...	116.20	116.20	...	...	...	...	0.01	0.01
15. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	5466	...	0.01	0.01	...	3.93	3.93	...	0.01	0.01
16. एशियाई विकास बैंक	5466	...	6.51	6.51	...	40.68	40.68	...	0.01	0.01
17. अफ्रीकी विकास निधि/बैंक	5466	...	9.08	9.08	...	9.08	9.08	...	9.08	9.08

सं.34/वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां

		बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			(करोड़ रुपए) बजट 2004-2005		
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
18. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए)	5466	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
19. कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि	2416	...	20.00	20.00	...	18.40	18.40	...	23.00	23.00
20. विकास गेटवे फाउंडेशन को अंशदान	3466	...	8.03	8.03	...	7.64	7.64	...	7.68	7.68
21. अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि	3466	...	1.00	1.00	...	0.94	0.94	...	0.95	0.95
22. ईराक के लिए बहु-दाता तकनीकी सहायता उपखाता में अंशदान	3466	...	...	...	...	0.55	0.55	...	0.55	0.55
जोड़-अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं		...	160.85	160.85	...	81.24	81.24	...	41.31	41.31
23. ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता										
22.01 गोआनी बैंक	2885	...	0.11	0.11	...	0.09	0.09	...	0.09	0.09
नौवहन										
24. जहाजों के अधिग्रहण के लिए ब्याज के अंतर के संबंध में आर्थिक सहायता	3052	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
25. विदेशी मुद्रा हानि की क्षतिपूर्ति										
25.01 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3475	...	...	...	...	31.85	31.85	...	0.01	0.01
25.02 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	3475	...	35.64	35.64	...	36.39	36.39	...	0.01	0.01
25.03 राष्ट्रीय आवास बैंक	3475	...	10.00	10.00	...	8.26	8.26	...	7.70	7.70
25.04 आवास विकास वित्त निगम	3475	...	1.00	1.00	...	32.79	32.79	...	...	...
जोड़		...	46.64	46.64	...	109.29	109.29	...	7.72	7.72
26. रिसर्जेंट इंडिया बांडों पर होने वाली मुद्रा हानि के एमओवी खाते के लिए अंशदान	3475	...	288.57	288.57	...	...	...	...	...	...
	6001	...	-288.57	-288.57	...	...	...	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27. इंडिया मिलेनियम डिपाजिट्स पर विनिमय हानि के लिए अंशदान	3475	...	423.90	423.90	...	...	...	...	208.00	208.00
	6001	...	-423.90	-423.90	...	...	...	...	-208.00	-208.00
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28. अन्य व्यय	3466	...	0.48	0.48	...	0.47	0.47	...	0.47	0.47
	4885	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
जोड़		...	0.49	0.49	...	0.48	0.48	...	0.48	0.48
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
29. समुदाय-आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जीवन बीमा निगम को आर्थिक सहायता	2235	...	70.00	70.00	...	...	...	...	...	...
30. समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कम्पनियों को आर्थिक सहायता	2235	...	...	...	...	2.00	2.00	...	5.00	5.00
31. वरिष्ठ नागरिकों की पेन्शन योजना के लिए जीवन बीमा निगम को ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	...	30.00	30.00	...	45.00	45.00	...	150.00	150.00
विविध सामान्य सेवाएं										
32. गारंटी मोचन निधि को अंतरण	2075	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	125.00
कुल जोड़		46.00	5779.08	5825.08	23.08	5727.67	5750.75	24.00	3492.54	3516.54
ग. आयोजना परिलक्ष्य*-	विकास	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट	आं.ब.बा.सं.	जोड़
	शीर्ष	समर्थन			समर्थन			समर्थन		
1. औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं	12885	46.00	...	46.00	23.08	...	23.08	24.00	...	24.00

1. **भारतीय औद्योगिक विकास बैंक:** यह एक शीर्ष संस्था है जो सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक उद्यमों को दीर्घावधिक वित्त प्रदान करती है तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को पुनः वित्तपोषण की सुविधाएं प्रदान करके और उनके ऋण-पत्र निर्गमों के लिए अभिदान करके उनके क्रियाकलापों को समन्वित तथा अनुपूरित करती है।

2. यह प्रावधान आईडीबीआई के लिए एसएसएसएफ के सृजन हेतु विशेष प्रयोजन वाहन (एक न्यास) को ऋण प्रदान करने के लिए है। यह प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा निर्गमित की जाने वाली ब्याज रहित विशेष प्रतिभूतियों के लिए निवेशित किया जाएगा।

3. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम:** यह निगम औद्योगिक प्रतिष्ठानों को ऋण तथा अग्रिम देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋण-पत्रों के लिए अभिदान करता है; यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए ऋणों की गारंटी भी देता है तथा उनके द्वारा जारी किए गए स्टॉक, शेयरों, बांडों तथा ऋण-पत्रों की हामीदारी भरता है।

5. **भारतीय निर्यात-आयात बैंक :** निर्यातकों तथा आयातकों को वित्तीय सहायता देता है तथा देश के सांस्थानिक व्यापार के संवर्धन के उद्देश्य से खाद्य तथा सेवाओं के निर्यात तथा आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण के समन्वयन के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है।

6. **भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक** कोलकाता में स्थित एकमात्र विकास वित्तीय संस्था है। यह प्रावधान ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता के लिए है।

7. **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक:** इसे लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, उनकी वित्त व्यवस्था तथा विकास करने तथा इसी प्रकार के कार्यकलापों में लगी संस्थाओं के कार्यों के समन्वयन हेतु एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सहायक बैंक के रूप में 2 अप्रैल, 1990 को अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया था। यह अपने कार्यकलापों को ऋण देने वाले मौजूदा तंत्र के माध्यम से पूरा करता है जिसमें राज्य वित्त निगम, राज्य औद्योगिक विकास निगम, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल हैं।

8. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक:** यह बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों तथा संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋण देकर एकीकृत ग्रामीण विकास का संवर्धन करता है; राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि विकास के लिए दिए गए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है; तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित कतिपय संस्थाओं को सीधे वित्तीय सहायता भी देता है।

9. यह प्रावधान सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए सुधार उपाय अपनाने हेतु राज्यों तथा सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान देने के लिए है।

11. यह (i) वर्ष 2004-05 में परिपक्व हो रही आश्वासित प्रतिफल योजनाओं में कमी (ii) 6.75 प्रतिशत यूएस 64 बांडों के कारण आकस्मिक देयता; तथा (iii) समयपूर्व बंद की जा रही 7 आश्वासित प्रतिफल योजनाओं के निवेशकों को पेशकश किए जाने के लिए प्रस्तावित 6.6% आश्वासित प्रतिफल योजना बांडों

के कारण आकस्मिक देयता, को पूरा करने के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम को सहायता के लिए किए गए प्रावधान का द्योतक है।

13. यह प्रावधान सहायक व्यवस्था और प्रतिपूरक तथा आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत किए गए आहरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को संदेय सेवा प्रभारों के लिए है। ये प्रभार प्रचलित विनिमय दर पर आधारित हैं।

14. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के पूंजी स्टॉक में अभिदान करने और मूल्य संबंधी दावों के अनुपूरण के लिए है।

15. यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में निवेश के लिए है।

16. यह प्रावधान एशियाई विकास बैंक के मूल्य भुगतानों के अनुपूरण को पूरा करने के लिए है।

17. इसमें अफ्रीकी विकास निधि की पूंजी की पूर्ति के लिए और अफ्रीकी विकास बैंक की पूंजी के स्टॉक में अंशदान के लिए भारत के अंश का प्रावधान किया गया है।

18. बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण (एमआईजीए) के भुगतान के लिए यह प्रावधान रखा गया है।

19. यह प्रावधान आई.एफ.ए.डी. को भारत के अंशदान के लिए है।

20. यह विकास गेटवे फाउंडेशन में भारत के अंशदान का द्योतक है।

21 व 22. यह अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि तथा ईराक के लिए बहु-दाता तकनीकी सहायता उप-खाते के लिए भारत का अंशदान है।

23. इसमें गोआनी बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिए गए ऋणों पर ब्याज की दरों में रियायत के बदले आर्थिक सहायता हेतु प्रावधान है।

24. नौवहन कंपनियों बैंक ऋणों पर बैंकों द्वारा वसूल की जाने वाली दर की अपेक्षा कम दर पर ब्याज की अदायगी करती हैं; इस अंतर को सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता द्वारा पूरा किया जाता है।

25. यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा आवास विकास वित्त निगम को इन संगठनों द्वारा विदेशी स्रोतों के ऋणों की वापसी में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा की हानि की प्रतिपूर्ति हेतु भरपाई के प्रति है।

27. यह प्रावधान इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के कारण मुद्रा हानि के लिए किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में समतुल्य निवेश को संशोधित प्रक्रिया के अनुसार घटाया जा रहा है।

28. इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एस.डी.आर. लेखा के प्रशासन के लिए देय निर्धारण प्रभारों और स्टेट बैंक आफ सिक्किम (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1982 के अंतर्गत देय राशि के लिए प्रावधान शामिल है।

29, 30 और 31. यह समुदाय आधारित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए जीवन बीमा निगम तथा सरकारी क्षेत्र की साधारण-बीमा कम्पनियों को सब्सिडी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु जीवन बीमा निगम को दी जाने वाली ब्याज सब्सिडी का द्योतक है।

32. यह अंशदान गारंटी मोचन निधि की संचित निधि के निर्माण के लिए है।